आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–111 / 2023
श्रीमती कांति देवी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	यह पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–284 / 2023 में दिनांक 25.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वैशाली के वाद संख्या–17 / 2019 में दिनांक 10.11.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अंश निम्नवत् हैः– **" If any such appeal/application is filed before the Commissioner, Tirhut Division within the stipulated period, the same shall be considered on its own merit and a reasoned order thereon shall be passed within a period of three months from the date of the filing of the application/appeal after giving appropriate opportunity of hearing to the parties."** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान स्वयं स्वीकार किया कि प्रश्नगत मामले में श्रीमती कांति देवी का चयन सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 से संबंधित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया की प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय को नहीं है।

आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला में वादी (श्रीमती कांति देवी) का चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2016 के आधार पर हुआ है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।"*** चुँकि प्रश्नगत मामला 2016 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है। अतएव ऐसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL